भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-392

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पशु जन्म नियंत्रण केन्द्र

392. श्री के. सुधाकरनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित कई शहरों में कार्यरत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केन्द्रों की भारी कमी और अपर्याप्त पशु चिकित्सा अवसंरचना के बारे में जानकारी है जिससे आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सम्यक् कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए शहरी स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित की गई निधि वास्तविक परिचालन लागत की तुलना में काफी अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में विलंब, खराब सुविधाएं और पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 का अनुपालन न होने की स्थिति बन रही है;

(ग) क्या सरकार का आवारा कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण और रेबीज की रोकथाम के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने, लागत मानकों को मानकीकृत करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के उपायों, संस्वीकृत अथवा प्रस्तावित अतिरिक्त निधि एवं एबीसी कार्यक्रमों के अनुपालन, गुणवत्ता और सम्यक् उपचार की निगरानी हेतु स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) आवारा पशुओं की आबादी को नियंत्रित करना स्थानीय निकायों का कार्य है। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 बनाए हैं। उक्त नियमों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरणों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए अवसंरचना तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार बजट प्रावधान के आधार पर अपेक्षित निधि उपलब्ध कराती हैं। हालांकि, नियम के तहत अपेक्षानुसार अब तक 78 पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों को ABC परियोजना मान्यता प्रदान की जा चुकी है। पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में कार्यक्रम की निगरानी और सफल कार्यान्वयन हेतु तीन स्तरीय निगरानी समिति की व्यवस्था की गई है।

*****